भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.1266
30 जुलाई, 2024 को उत्तरार्थ

विषयः पीएम-किसान योजना का कार्यान्वयन
1266. श्री के. राधाकृष्णनः
श्री बैन्नी बेहननः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है;
(ख) अब तक कितने किसानों को इसका लाभ मिला है; और
(ग) किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख): पीएम-किसान योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा फरवरी 2019 में भूमिधारक किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रारंभ किया गया था। इस योजना के तहत, तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष रुपये 6,000 का वित्तीय लाभ प्रत्यक्ष लाभ अतंरण (डी.बी.टी.) के माध्यम से देश भर के किसान परिवारों के बैंक खातों में हस्तांतरित किया जाता है। पीएम-किसान योजना विश्व की सबसे बड़ी डी.बी.टी. योजनाओं में से एक है।

किसान-केंद्रित डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर के द्वारा योजना का लाभ बिना किसी बिचौलिए की भागीदारी के, देश भर के सभी किसानों तक पहुंचना सुनिश्चित हुआ है। लाभार्थियों के पंजीकरण और सत्यापन में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखते हुए, भारत सरकार ने अब तक 11 करोड़ से अधिक किसानों को 17 किस्तों में रुपये 3.24 लाख करोड़ से अधिक का भुगतान किया है।

(ग): भारत सरकार राज्य सरकारों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के सुझावों पर विचार करने के बाद कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर 22 अनिवार्य कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तय करती है। एमएसपी की सिफारिश करते समय, कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) समग्र मांग-आपूर्ति की स्थिति, उत्पादन की लागत, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कीमतें, अंतर फसल मूल्य समता, कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार की शर्तें, बाकी अर्थव्यवस्था पर संभावित प्रभाव जैसे महत्वपूर्ण कारकों पर विचार करता है, साथ ही भूमि, पानी और अन्य उत्पादन संसाधनों के तर्कसंगत उपयोग और उत्पादन लागत पर न्यूनतम 50 प्रतिशत मार्जिन सुनिश्चित करता है।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) नीति के उद्देश्यों को साकार करने के लिए, सरकार भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और राज्य एजेंसियों के माध्यम से धान और गेहूं के लिए मूल्य समर्थन प्रदान करती है। भारत सरकार ने धान / गेहूं की खरीद के लिए खरीद करने वाले राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं क्योंकि किसानों से खाद्यान्न की खरीद मुख्य रूप से राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा की जाती है। समझौता ज्ञापन (एमओयू) में इस पर विशेष रूप से जोर दिया गया है कि "एमएसपी और बोनस का भुगतान, यदि कोई हो, तो सरकारी खरीद एजेंसियों द्वारा धान / गेहूं की खरीद के 48 घंटे के भीतर केवल ऑनलाइन खरीद प्रणाली के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खातों में किया जाना है"। किसानों से खाद्यान्न की पूरी खरीद ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जाती है और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का ऑनलाइन भुगतान भी सीधे किसानों के खाते में किया जाता है। प्रणाली में प्रत्यक्ष लाभ अतंरण (डी.बी.टी.) क़े द्वारा जिम्मेदारी, पारदर्शिता और वास्तविक समय की निगरानी क़ो लाया गया है।

इसके अतिरिक्त, उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) के तिलहन, दलहन और कोपरा (copra) को प्रधान मंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएमएएएसएचए) की योजना के तहत मूल्य समर्थन योजना के तहत पंजीकृत किसानों से, इसके दिशा-निर्देशों के अनुसार, संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदा जाता है, जब इन उत्पादों के बाजार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से नीचे गिर जाते हैं। इस योजना के तहत, किसानों को उनकी उपज की प्राप्ति के तीन दिनों के भीतर आरटीजीएस (RTGS) या एनईएफटी (NEFT) के माध्यम से उनके व्यक्तिगत बैंक खातों में भुगतान किया जाता है।

सरकार द्वारा कपास और जूट की खरीद भी क्रमशः भारतीय कपास निगम (CCI) और भारतीय जूट निगम (JCI) के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर की जाती है। भारतीय कपास निगम ने वास्तविक कपास किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसमें मौके पर ही आधार-आधारित किसान पंजीकरण का कार्यान्वयन, "Cott-Ally" मोबाइल ऐप लॉन्च करना और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) के राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (NACH) के माध्यम से कपास किसानों को 100% भुगतान सीधे उनके आधार से जुड़े बैंक खाते में करना शामिल है। यह केवल वास्तविक कपास किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना का लाभ देने में सक्षम बनाता है और इस प्रकार कपास की खेती में उनकी रुचि को बनाए रखता है। आम तौर पर, किसानों को 7 दिनों के भीतर भुगतान किया जाता है।

******